

# Order Sheet [Contd]

Case No52/17 B.A Cr.P.C....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
2-2-17	<p>पीठासीन अधिकारी महोदय के अवकाश पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश ।</p> <p>आवेदक/अपीलार्थी जगदीश सिंह द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।</p> <p>शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक ।</p> <p>पुलिस थाना गोहद के अप0क्रं0 339/16 धारा 147,148,149,294,324,326,506 भा0द0वि0 की केश डायरी मय प्रतिवेदन एवं संबंधित क्रोस केश अप0क्रं0 340/16 धारा 147,148,149,294,324,506 भा0द0सं0 की केश डायरी प्राप्त हुयी।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438 जा0फो0 में बताया गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लम्बित होना बताया गया है।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है क्योंकि आवेदक वृद्ध व्यक्ति है । उसका एवं उसके भाईयों से फरियादी पक्ष कलियानसिंह गुर्जर आदि से झगडा हो गया था और फरियादी पक्ष ने उनकी लाठियां लेकर एक राय होकर मारपीटकी जिसका अप0क्रं0 340/16 के तहत थाना गोहद में प्रकरण दर्जकिया गया है ।</p> <p>उक्त अपराध से बचने के लिये आवेदक के विरुद्ध झूठी रिपोर्टकी गई है। आवेदक वृद्ध व्यक्ति है जिसके उम्र के संबंध में निर्वाचन आयोग का कार्ड पेश किया गया है। आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक ग्राम पलिया का स्थाई निवासी है उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है। ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध किया ।</p>	

केश डायरी का अवलोकन किया गया । फरियादी कलियान सिंह गुर्जर ने थाना गोहद में रिपोर्ट की कि दिनांक 16-11-16 को 8:30 बजे वह व उसका भाई रामवरन हसेलिया पुरा मौजे में सरसो के खेत में पानी दे रहे थे पास में महेन्द्र सिंह व वीरेन्द्र सिंह के खेत हैं महेन्द्र सिंह ने उसका पानी बंद कर दिया जिस पर से रामवरन ने कहा पानी क्यों बंद कर दिया तो आवेदक/आरोपी एवं अन्य आरोपीगण मादर चोद आदि की बुरी बुरी गालियां देने लगे और लाठी लुहांगी से उसकी मारपीट करने लगे जिससे उन्हें चोटें आयी । जिस पर से पुलिस धारा गोहद में अप0क्रं0 339/16 पर प्रकरण दर्ज किया है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । पुलिस थाना गोहद में आरोपी/आवेदक के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज होकर प्रकरण अभी विवेचना में है । फरियादी पक्ष के मेडिकल रिपोर्ट से भी उन्हें चोट आना प्रकट होता है । आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क कि आवेदक काफी बृद्ध है उसने कोई अपराध नहीं किया है । उक्त संबंध में क्रोस प्रकरण अप0क्रं0 340/16 की केश डायरी में लगे हुये आवेदक/आरोपी के मेडिकल से भी उसकी उपस्थिति घटनास्थल पर होना सुनिश्चित होती है । प्रकरण की विवेचना अभी पूर्ण नहीं हुयी है ।

अतः प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/आरोपी को अग्रिम स्वरूप जैसी जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । ऐसी दशा में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438 जा0फो0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है ।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी वापिस की जाये ।  
परिणाम दर्जकर दाखिल रिकार्ड हो ।

ए0एस0जे0गोहद

